मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-5/2010/1/8 भोपाल, दिनांक 18-5-2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः शासन तथा विभिन्न सांविधिक अधिकारियों द्वारा सामान्य स्तर के प्रकरणों पर बढ़ती हुई मुकदमेबाजी तथा सच्चे एवं जरूरतमंद याचिकाकर्ताओं को तीव्र गति से न्याय उपलब्ध कराने के संबंध में।

— 0 —

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में SLP(c) क्रमांक 29852/09 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2009 में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि शासन तथा विधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय न लेने के कारण छोटी-छोटी बातों पर मुकदमेबाजी के मामलों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है जिससे जरूरतमंद लोगों को न्याय देने में विलंब होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का तत्संबंधी सारगर्भित भाग निम्नानुसार है :-

"..... it is a matter of concern that such frivolous and unjust litigation by governments and statutory authorities are on the increase. Statutory Authorities exist to discharge statutory functions in public interest. They should be responsible litigants. They cannot raise frivolous and unjust objections, nor act in a callous and highhanded manner. They can not behave like some private litigants with profiteering motives. Nor can they resort to unjust enrichment. They are expected to show remorse or regret when their officers act negligently or in an overbearing manner. When glaring wrong acts by their officers is brought to their notice, for which there is no explanation or excuse, the least that is expected is restitution/restoration to the extent possible with appropriate compensation. Their harsh attitude in regard to genuine grievances of the public and their indulgence in unwarranted litigation requires to be corrected .....

.....The reluctance to take decisions, or tendency to challenge all orders against them, is not the policy of the governments or statutory authorities, but is attributable to some officers who are responsible for taking decisions and/ or officers in charge of litigation. Their reluctance arises from an instinctive tendency to protect themselves against any future accusations of wrong decision making, or worse, of improper motives for any decision making. Unless their insecurity and fear is addressed, officers will continue to pass on the responsibility of decision making to courts and Tribunals. The Central Government is not attempting to deal with this issue by formulating realistic and practical norms for defending cases filed against the government and for filling appeals and revisions against adverse decision, thereby, eliminating unnecessary litigation. But, it is not sufficient if the Central Government alone undertakes such an exercise..... **Vexatious and unnecessary litigation have been clogging the wheels of justice, for too long making it difficult for courts and Tribunals to provide easy and speedy access to justi to bonafide and needy litigants."**

2/ अतः अनुरोध है कि :–

(1) निर्णय लेने में सक्षम सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्वयं पूरी सक्षमता एवं दक्षता से निर्णय लें तथा किसी संभावित गलत निर्णय के भय से अथवा भविष्य में किन्ही काल्पनिक अथवा संभावित आरोपों से बचने के उद्देश्य से ऐसी प्रवृत्ति न डालें कि वे स्वयं निर्णय ही न ले सकें और परिणामतः मामलों में निर्णय का दायित्व न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अंतरित हो जाए। अपने विरूद्ध हुए सभी आदेशों का न्यायोचित दृष्टि से परीक्षण करें और सभी आदेशों को चुनौती मानने की प्रवृत्ति से बचा जाए। सही और उचित निर्णय लेने में आनाकानी करने से भी बचा जाए।

(2) आम लोगों की सच्ची समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया जाए न कि अकारण ही सख्त दृष्टिकोण रखा जाए।

(3) शासन के सभी अधिकारी जिम्मेदार वादी बनें। यदि मामले ऐसे हैं कि पक्षकार को किसी फोरम पर न्याय मिल रहा है तो उसे मात्र इसलिये अपील दर अपील नहीं खींचा जाना चाहिये कि निर्णय शासन के विरूद्ध है, बल्कि वास्तविक एवं व्यावहारिक मापदण्डों पर ऐसे प्रकरण का परीक्षण कर अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के बारे में उचित निर्णय लिया जाना चाहिये ताकि अकारण मुदकमेबाजी पर रोक लग सके।

3/ सभी विभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदाय करें।

(बी. आर. विश्वकर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क. एफ 5–5/2010/1/8 भोपाल, दिनांक 18–5–2010

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(बी. आर. विश्वकर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग